फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ, जिला जयपुर राजस्थान

देवीसहाय वगै0 बनाम गोपाल वगै0

नं0 :– 125/2023

| दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रूप से | विशेष विवरण |
|---|---|---|
| 19.05.2025 | पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। तहसीलदार ने रिपोर्ट पेश की। जिसे शामिल मिसल किया गया। वकील उभय पक्षों की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली वास्ते आदेश हेतु दिनांक 02.06.2025 को पेश हो। | |
| 02.06.2025 | पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। पत्रावली आदेश में विचाराधीन है। पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा बहस का मनन किया किया। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओ को दौहराते हुए बिन्दु सं0 1 में वर्णित भूमि खसरा नम्बर 75 रकबा 0.9610है0 वाके ग्राम सामरेड कलां, पटवार हल्का सामरेड कलां, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर की चारो तरफ (चारों दिशाओं) की मुकमिल पत्थरगढी करवाने का निवेदन किया।<br>वकील अप्रार्थी सं0 1,3,4,5 ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि के लगवा अप्रार्थीगणों की भूमि खसरा नम्बर 471/83, 469/83, 470/83, 472/83 स्थित है। यदि प्रार्थी की भूमि की ही पत्थरगढी की जाती हैं तो अप्रार्थीगणों को अत्यन्त परेशानी होने की पूर्ण संभावना है। मौके पर आपसी विवाद होने का अंदेशा होगा तथा मौके पर अपनी अपनी जमीन पर काबिज रहेगें।<br>अतः पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थी का प्रार्थना पत्र, पैरोकार सरकार के जवाब/रिपोर्ट, अप्रार्थी की आपत्ति एवं अन्य दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया कि मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट के ग्राम सामरेड कलां में स्थित भूमि खसरा नम्बर 75 रकबा 0.9610है0 पर आंशिक भाग पर प्रार्थी का कब्जा नही है तथा सम्पूर्ण ग्राम के मौके व नक्शा में अन्तर है। अतः ग्राम सामरेड कलां के सम्पूर्ण ग्राम के मौक व नक्शें में अन्तर होने से एवं प्रार्थी की खातेदारी भूमि के आंशिक भाग पर कब्जा नही होने से पत्थरगढी आदेश किया जाना उचित नही है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू–राजस्व अधि0 को अस्वीकार किया जाता है।<br>निर्णय आज खुले न्यायालय मे सुनाया गया।<br>पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हों।<br>(ललित मीना)<br>उपखण्ड अधिकारी<br>जमवारामगढ | |